भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2612

19 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः- हरित क्रांति

2612. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी:

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या 1960 के दशक में हरित क्रांति (जीआर) के आरंभ से देश इस क्षेत्र में समृद्ध हुआ है लेकिन इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो पा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है/इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसानों को खरीद के माध्यम से अधिक उपज देने वाले बीज, सस्ते ऋण और सुनिश्चित मूल्य प्रदान करके आपूर्ति पक्ष की प्रतिक्रिया की योजना तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 1960 से उठाए जा रहे कदमों/परिणामों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजसहायता से रासायनिक उर्वरकों, जिनसे मृदा का क्षरण होता है के अंधाधुंध उपयोग को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) और (ख): भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल और गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। खाद्य उत्पादन 1961 में 72.3 मिलियन मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 329.69 मीट्रिक टन हो गया।

भारत हरित क्रांति के घटकों जैसे पौधों के प्रजनन, सिंचाई विकास और कृषि रसायनों के वित्तपोषण को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को अपनाकर अपना हरित क्रांति कार्यक्रम जारी रख रहा है।

हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हैं:

- **फसल उत्पादन में वृद्धि:** गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई, जिससे भारत दुनिया के सबसे बड़े कृषि उत्पादकों में से एक बन गया।
- **आत्मनिर्भरता:** जैसे-जैसे भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुआ, वैसे-वैसे खाद्यान्न का आयात कम हो गया, बल्कि भारत निर्यात करने लगा।
- **उपलब्धता:** प्रति व्यक्ति खाद्यान्न की निवल उपलब्धता बढ़ी है।

• **किसानों को लाभ:** कृषि उत्पादकता में सुधार होने से किसानों की आय का स्तर बढ़ा। इसने पूंजीवादी खेती को बढ़ावा दिया क्योंकि बड़े भूमि मालिकों को सबसे अधिक लाभ हुआ।

• **औद्योगीकरण:** खेतों के बड़े पैमाने पर यंत्रीकरण ने ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट आदि जैसी मशीनरी की मांग पैदा की। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, नाशीजीव, खरपतवारनाशी आदि की मांग भी काफ़ी बढ़ गई।

• **कृषि उद्योग:** कई कृषि उत्पादों का उपयोग विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाने लगा, जिससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिला।

• **रोजगार:** श्रम बल की मांग ने ग्रामीण रोजगार और साथ ही औद्योगिक कार्यबल में वृद्धि की।

कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीए एंड एफडब्ल्यू) का मानना है कि हरित क्रांति के लाभों का दोहन एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय दो छत्रक योजनाओं - कृषोन्नति योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्यों को सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें हरित क्रांति के घटक शामिल हैं। ये योजनाएं हैं: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता परियोजना, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास और जलवायु परिवर्तन, परम्परागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी परियोजना, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन, पौध संरक्षण और पौध संगरोध उप-मिशन, कृषि विस्तार उप-मिशन, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन, समेकित कृषि संगणना और सांख्यिकी योजना, कृषि सहयोग योजना, समेकित कृषि विपणन और राष्ट्रीय बांस मिशन योजना।

इन कार्यक्रमों के तहत, किसानों को चावल और गेहूं पर क्लस्टर प्रदर्शन आयोजित करने, बीज उत्पादन और वितरण, पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा सुधारक, समेकित कीट प्रबंधन, फसलन प्रणाली-आधारित प्रशिक्षण, परिसंपत्ति निर्माण जैसे कृषि यांत्रिकी और उपकरण, सिंचाई उपकरण, साइट विशिष्ट गतिविधियाँ और फसलोपरांत विपणन सहायता आदि के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें राज्यों में कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। उर्वरक संबंधी मामला रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित है। हालाँकि, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय उचित नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों और किसानों के कल्याण को बढ़ावा देता है। वर्ष 2013-14 में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अभिन्न अंग सहकारिता मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और मात्स्यिकी विभाग का बजट आवंटन केवल 30,223.88 करोड़ रुपये था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का बजट वर्ष 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ रुपये है।

(ग) यदि संतुलित और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया जाए तो मृदा की उर्वरता पर उर्वरकों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत सरकार पौधों के पोषक तत्वों के अकार्बनिक और जैविक (खाद, जैव उर्वरक, हरी खाद, इन-सीटू फसल अवशेष रीसाइक्लिंग इत्यादि) दोनों स्रोतों के संयुक्त उपयोग के माध्यम से मिट्टी परीक्षण आधारित संतुलित और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन की सिफारिश कर रही है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए 4 आर यानी सही समय, सही विधि, सही प्रकार के उर्वरक और सही मात्रा शामिल

का दृष्टिकोण अपना रही है। । इसके अलावा, विभाजित अनुप्रयोग, नीम लेपित यूरिया सहित धीमी गति से निकलने वाले उर्वरकों के उपयोग और फलियां वाली फसलें उगाने की भी वकालत की जाती है।

भारत सरकार किसानों द्वारा जैविक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है, योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) किण्वित कार्बनिक खाद (एफओएम)/तरल किण्वित कार्बनिक खाद (एलएफओएम) और फॉस्फेट समृद्ध कार्बनिक खाद (पीआरओएम) की बिक्री के लिए संपीड़ित बायो गैस संयंत्रों को मंडी सहायता (एमडीए):

(ii) धरती माता की उर्वरता की पुनर्स्थापना, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम) योजना:

(iii) परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एमओवीसीडीएनईआर):

आईसीएआर ने कृषि उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए विभिन्न फसलों और मृदा के प्रकारों के लिए विशिष्ट जैव उर्वरकों की उन्नत और कुशल किस्में विकसित की हैं। इसके अलावा, उर्वरकों के विभाजित अनुप्रयोग और प्लेसमेंट, धीमी गति से जारी होने वाले एन-उर्वरक और नाइट्रीकरण अवरोधकों का उपयोग, फलियां वाली फसलें उगाने और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों (आरसीटी) के उपयोग की भी वकालत की जाती है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण भी देता है, फ्रंट-लाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।

*****